12/8/21 पत्रावली पेश हुयी। वकील वादीगण उप०। वकील वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में गवाहान जगदीश सिंह पुत्र श्री भगूत सिंह तथा नरेन्द्र पुत्र शोलसिंह के लिखित व नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये गयें। पत्रावली में बहस वकील वादीगण सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय 31.8.21 को पेश हो।

31.8.21 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादीगण उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादी सं0 1 का सही नाम निलूसिंह पुत्र शोलसिंह है परन्तु विरासतन नामा0 दर्ज करते समय व राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का बोलता नाम विजेन्द्र सिंह पुत्र शोलसिंह दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है। इसी प्रकार वादी सं0 2 का सही नाम रामसिंह पुत्र भगूतसिंह है परन्तु विरासतन नामा0 दर्ज करते समय व राजस्व

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
...थाना (सीकर)

रिकार्ड तैयार करते समय वादी का बोलता नाम नरेन्द्र सिंह पुत्र भगूतसिंह दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का नाम दुरुस्त किया जावें। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में वादी सं0 1 का पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशनकार्ड, आधार कार्ड की प्रतियां तथा वादी सं0 2 का ड्राईविंग लाईसेन्स, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशनकार्ड, जन आधार कार्ड की रसीद, श्रम कार्ड की प्रतियां पेश किये जिनमें वादीगण का सही नाम है। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य गवाहान नरेन्द्र पुत्र शोलसिंह, जगदीशसिंह पुत्र भगूतसिंह का लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी सं0 1 का नाम विजेन्द्र सिंह पुत्र शोलसिंह अंकित है। वादी का कथन कि वादी 1 का सही नाम निलूसिंह पुत्र शोलसिंह है की पुष्टि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशनकार्ड, आधार कार्ड की प्रतियों से होती है। इसी प्रकार विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी सं0 2 का नाम नरेन्द्र सिंह पुत्र भगूतसिंह अंकित है। वादी का कथन कि वादी 2 का सही नाम रामसिंह पुत्र भगूतसिंह है की पुष्टि ड्राईविंग लाईसेन्स, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशनकार्ड, जन आधार कार्ड की रसीद, श्रम कार्ड की प्रतियों से होती है। सहखातेदार नरेन्द्र पुत्र शोलसिंह, जगदीशसिंह पुत्र भगूतसिंह के लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र से भी उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादीगण साबित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तथा **राजस्व ग्राम नीमोद पटवार हल्का खादरा स्थित भूमि खाता सं0 39, 40, 43, 133, 136, 137, 134 में दर्ज खातेदार नरेन्द्रसिंह पुत्र भगूतसिंह के स्थान पर रामसिंह पुत्र भगूतसिंह व विजेन्द्रसिंह पुत्र शोलसिंह/विजेन्द्रसिंह पुत्र सोलसिंह के स्थान पर निलूसिंह पुत्र शोलसिंह तथा खाता सं0 38, 138, 41, 247 में दर्ज खातेदार विजेन्द्रसिंह पुत्र शोलसिंह/विजेन्द्रसिंह पुत्र सोलसिंह के स्थान पर निलूसिंह पुत्र शोलसिंह तथा खाता सं0 246 में दर्ज खातेदार नरेन्द्रसिंह पुत्र भगूतसिंह के स्थान पर रामसिंह पुत्र भगूतसिंह दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।** शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना
व इजलास **बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) : उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना**

निलूसिंह वगै0 **बनाम** भूमिधारी

–वादी– –प्रतिवादीगण–

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं. 57 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना व हाजरी श्री रामसिंह गुर्जर एडवोकेट– वादी मिनजानिब मुद्दई व – मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम निमोद पटवार हल्का खादरा स्थित भूमि खाता सं. 39, 40, 43, 133, 136, 137, 134 में दर्ज खातेदार नरेन्द्र सिंह पुत्र भगतूसिंह के स्थान पर रामसिंह पुत्र भगतूसिंह व विजेन्द्र सिंह पुत्र शोलसिंह/विजेन्द्र सिंह पुत्र सोलसिंह के स्थान पर निलूसिंह पुत्र शोलसिंह तथा खाता सं. 38, 138, 41, 247 में दर्ज खातेदार विजेन्द्र सिंह पुत्र शोलसिंह/विजेन्द्र सिंह पुत्र सोलसिंह के स्थान पर निलूसिंह पुत्र शोलसिंह तथा खाता सं. 246 में दर्ज खातेदार नरेन्द्र सिंह पुत्र भगतूसिंह के स्थान पर रामसिंह पुत्र भगूतसिंह दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात बदस्तुर रहे। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

निज................×........................मुबलिग..................×........................बाबत..................×......................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह......................×................................फीसदी सलाना
आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक......................×..............................को अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 31 माह 08 सन् 2021 को जारी की गई।

मुहर

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।